वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0 05 /जो0 अ0 दिनांक 3/11/21

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि ~~श्रीमती~~/श्री बालकृष्ण नारायण सिंह श्री देव कृष्ण नारायण सिंह वगैरह
पिता/पति का नाम श्री............ आराजी संख्या 105/4, 106/3, 106/4, 106/6 मौजा कोईराजपुर
वार्ड............ में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

(मुहर: उपाध्यक्ष — 60/15 अनु०दा० — विन्यास — वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी)

दिनांक............20

कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1– यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनयम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर ....दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें

1. आपको भूखण्ड प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से 15 पेड़ लगाना होगा।
2. कुड़ा संचयन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
3. नगर निगम, जल कल विभाग, विद्युत विभाग, एवं अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. आपको आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल व इंजीनियर की होगी।
5. बेसमेन्ट में वेन्टिलेशन की व्यवस्था मैकेनिकल होना मानचित्र में दर्शित है। इसको सुनिश्चित करना होगा तथा बेसमेन्ट में जो बिल्डिंग लाईन से अधिक पर बनी है। उस स्लैब का स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि फायर टेन्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।
6. कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग विजीटर पार्किंग हेतु आरक्षित किया जायेगा। जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी।
7. भू–स्वामित्व व रास्ता सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः ऐसी दशा में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
8. भविष्य में कोई देयता निकलती है तो वह आपको देय होगा।
9. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्यासन की कार्यवाही की जायेगी।
10. आप द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में दिये गये शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11. आपको पी0एन0जी0 कनेक्शन की उपलब्धता होने पर कनेक्शन लेना होगा।
12. आपको एन0जी0टी0 के नियमो का पालन सुनिश्चित करना होगा।